राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1790/2008/उदयपुर.

मैसर्स बोहरा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. राज्य स्तरीय छानबीन समिति,
जयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उदयपुर. .....प्रत्यर्थीगण.

खण्डपीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज घीया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक :17/11/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील राज्य स्तरीय छानबीन समिति, जयपुर (जिसे आगे **"एस.एल.एस.सी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा व्यवहारी के बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन पर अपीलार्थी की इकाई को लघु श्रेणी के स्थान पर 'मध्यम श्रेणी' की इकाई मानते हुये लाभ दिया गया था, जिसके विरुद्ध धारा 83 में यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा ग्राम–उमरड़ा उदयपुर में एक औद्योगिक इकाई वर्ष 2001 में स्थापित की थी, जिसके लिये विक्रय कर मुक्ति प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत एक 'लघु उद्योग इकाई' के रुप में लाभ प्राप्त करने के लिये जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर द्वारा प्रकरण में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम समिति जो कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति के रुप में राज्य स्तर पर गठित है को भिजवाई गई थी, जिनके द्वारा दिनांक 15.12.2003 को निर्णय लिया जाकर अपीलार्थी फर्म को मध्यम श्रेणी की इकाई के रुप में प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत 11 वर्ष की अवधि के लिये लाभ दिया गया था। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि इकाई द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्लांट एण्ड मशीनरी हेतु 2 करोड़ 10 लाख का विनियोजन करना बताया था अतः जिला उद्योग केन्द्र द्वारा "लघु श्रेणी" में पंजीयन न कर उसे "मध्यम श्रेणी" की इकाई के रुप में पंजीयन किया गया था। इस आधार पर अपीलार्थी को योजना के प्रावधानों के अनुसार कुल विनियोजित राशि की शत–प्रतिशत राशि तक की कर–मुक्ति का लाभ प्रदान किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में रुपये 93 लाख के विनियोजन को कम

लगातार.....2

करते हुए आदेश जारी किये गये थे, क्योंकि वह राशि विनियोजन में अपात्र मानी गई थी। उक्त आदेश दिनांक 15.12.2003 के विरुद्ध कर बोर्ड में दिनांक 01.09.2008 को अपील प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया कि राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा उन्हें लघु उद्योग के स्थान पर मध्यम श्रेणी का उद्योग माने जाने में अविधिक निर्णय किया गया है। अतः कुल विनियोजन राशि का 125 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत का लाभ दिया गया है जो अनुचित है। अतः दिनांक 15.12.2003 के आदेश को संशोधित करने के निर्देश दिये जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है साथ ही एस.एल.एस.सी द्वारा रुपये 93 लाख की राशि को कम किये जाने को 'अकारण' बताते हुये उसका लाभ दिये जाने के निर्देश देने की मांग भी की गई है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

4. उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यवसायी को राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा दिनांक 15.12.2003 को योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन योजना, 1998 का लाभ प्रदान किया गया था, जिसमें प्लांट एण्ड मशीनरी में 2 करोड़ से अधिक का विनियोजन होने से मध्यम श्रेणी की इकाई की श्रेणी में होने से उद्योग विभाग द्वारा मध्यम श्रेणी की इकाई के रुप में पंजीयन किया था एवं उसी अनुसार मध्यम श्रेणी के लिये योजना में दिये गये लाभ अनुसार 100 प्रतिशत तक की विनियोजन राशि की कर मुक्ति लाभ का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया। जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि लघु उद्योग विकास आयुक्त, दिल्ली के दिनांक 23.12.2002 के पत्र अनुसार भी इकाई को 'लघु उद्योग' की श्रेणी में मानने से इंकार किया गया है एवं इसी तरह जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 06.06.2001 के पत्र में यह सूचना बताई गई कि प्लांट में 2 करोड़ से अधिक का विनियोजन होने से लघु उद्योग की श्रेणी में नहीं आती है।

ऐसी स्थिती में अपीलार्थी का यह कथन ही निराधार है कि वह लघु श्रेणी की इकाई थी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 02.01.2007 को उद्योग विभाग में यह पत्र दिया गया कि दिनांक 15.12.2006 से लघु एवं मध्यम श्रेणी की सीमा बढ़ा दी गई है। अतः उन्हें 2003 में दिये गये प्रमाण पत्र में संशोधन करें। अपीलार्थी का यह आवेदन ही पूर्णतया गलत है जब अपीलार्थी वर्ष 2003 में लघु श्रेणी में ही था एवं 1998 की योजना में उस समय की श्रेणी का लाभ ही मिल सकता था, तब बाद के वर्षों के नियमों का लाभ लेने का हकदार नहीं है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रोत्साहन योजना, 1998 का लाभ जो अपीलार्थी के लिये वर्ष 2014 तक ही प्रभावी था वह समय भी समाप्त हो चुका है, जिससे यह प्रकरण सारहीन हो चुका है।

फलतः तथ्यात्मक रुप से अपीलार्थी के कथन निराधार होने से तथा योजना की अवधि समाप्त हो जाने के कारण अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल.जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष